बिल का सारांश

मॉडल केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर बिल

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने नवंबर 2016 में मॉडल केंद्रीय और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल जारी किया। यह मॉडल केंद्रीय/राज्य जीएसटी बिल निम्नलिखित की वसूली का प्रावधान करता है: (i) केंद्र द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), और (ii) राज्यों द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)।
- **सीजीएसटी/एसजीएसटी की वसूली:** केंद्र सीजीएसटी की वसूली करेगा और राज्य अपनी सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एसजीएसटी की वसूली करेंगे। आपूर्तियों में बिक्री, हस्तांतरण, एक्सचेंज और व्यवसाय को विस्तार देने के विचार से तैयार की गई लीज शामिल है।
- **कर की दरें**: सीजीएसटी/एसजीएसटी की दरों को जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी की दरें 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मॉडल बिल के तहत 50 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले टैक्सपेयरों को अपने टर्नओवर पर टैक्स चुकाना होगा (इसे कंपोजीशन लेवी कहा जाएगा।)
- **सीजीएसटी/एसजीएसटी से छूट**: केंद्र और राज्य एक अधिसूचना जारी करके कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दे सकते हैं। इस प्रकार की छूट के संबंध में जीएसटी परिषद सुझाव देगी।
- **सीजीएसटी/एसजीएसटी को चुकाने का दायित्व**: वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में सीजीएसटी/एसजीएसटी को चुकाने का दायित्व निम्न तिथियों से प्रारंभ होगा: (i) इनवॉयस को जारी करने की तिथि, (ii) भुगतान प्राप्त करने की तिथि, जो भी पहले हो।
- **टैक्स योग्य राशि (आपूर्ति का मूल्य):** सीजीएसटी/एसजीएसटी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर वसूली जाएगी जिनके मूल्य में निम्नलिखित शामिल हैं: सप्लाई पर चुकाया जाने वाला मूल्य; दूसरे कर कानून के तहत वसूले जाने वाले टैक्स और ड्यूटी; ब्याज, लेट फी, देर से किए गए भुगतानों पर जुर्माना, इत्यादि।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट**: प्रत्येक टैक्सपेयर आउटपुट पर टैक्स चुकाते समय इनपुट पर चुकाए गए टैक्स के बराबर क्रेडिट ले सकता है। लेकिन यह निम्नलिखित से संबंधित आपूर्तियों पर लागू नहीं होगा: (i) व्यक्तिगत उपभोग, (ii) खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, आउटडोर केटरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि।
- **पंजीकरण**: ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं और जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें हर उस राज्य में पंजीकरण कराना होगा, जिनमें वे कारोबार करते हैं। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में टर्नओवर की सीमा 10 लाख रुपए है। किसी राज्य में अलग-अलग प्रकार के कारोबार होने पर व्यक्ति को विभिन्न पंजीकरण करने पड़ेंगे।
- **रिटर्न:** प्रत्येक टैक्सपेयर को स्वमूल्यांकन करके मासिक आधार पर निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा कराते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए: (i) की गई आपूर्तियों के विवरण,(ii) प्राप्त की गई आपूर्तियों के विवरण, और (iii) टैक्स का भुगतान। मासिक आधार पर रिटर्न फाइल करने के

अरविंद गायम
aravind@prsindia.org

1 दिसंबर, 2016

अतिरिक्त प्रत्येक टैक्सपेयर को वार्षिक रिटर्न भी फाइल करना चाहिए।

- **रिफंड्स और वेल्फेयर फंड:** कोई भी टैक्सपेयर निम्नलिखित मामलों में टैक्सों के रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है: (i) अधिक टैक्स चुकाए जाने पर, या (ii) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग न होने पर। ऐसे आवेदनों के बाद रिफंड की राशि को टैक्सपेयर को चुकाया जा सकता है या उसे कंज्यूमर वेल्फेल्यर फंड में जमा किया जा सकता है। फंड उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- **अभियोग और अपील**: किसी व्यक्ति को (i) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, (ii) इनवॉयस में दिए गए विवरणों के संबंध में गलत जानकारी देने जैसे अपराधों के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है, उसे जेल हो सकती है या इन दोनों सजाओं को भुगतान पड़ सकता है। ऐसे आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है जिसके आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- **नए रेजीम में जाना:** जिन टैक्सपेयरों ने मौजूदा केंद्रीय उत्पाद और राज्य मूल्य संवर्धित कर कानून के तहत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें जीएसटी के तहत प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कारोबारी जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले खरीदे गए स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ भी उठा सकते हैं।
- **मुनाफाखोरी के खिलाफ उपाय**: केंद्र सरकार कानून के तहत इस बात की जांच के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकती है कि टैक्स दरों में कमी के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आई अथवा नहीं। अगर कीमतों में कमी नहीं आती तो प्राधिकरण जुर्माना लगा सकता है।
- **अनुपालन की रेटिंग:** प्रत्येक टैक्सपेयर को जीएसटी के अनुपालन के संबंध में रेटिंग स्कोर दिया जाएगा जोकि बिल के अनुपालन से जुड़े उसके रिकॉर्ड पर आधारित होगा। इस रेटिंग स्कोर को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा और पब्लिक डोमेन में उसे पेश किया जाएगा।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (□पीआरएस□) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।